



स्थानीय राजपत्र

कोशी गाउँपालिका, लौकही, सुनसरी, प्रदेश नं.१,
नेपालद्वारा प्रकाशित

खण्ड: ४,

असार ३० गते, २०७८

संख्या: १

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाले पारित गरेको तल लेखिए बमोजिमको आर्थिक ऐन, २०७८ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

भाग १ आर्थिक ऐन २०७८

प्रस्तावना:

कोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने, छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :**
 - (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन २०७८” रहेको छ ।
 - (२) यो ऐन २०७८ साल श्रावण १ गतेदेखि कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।
२. **सम्पत्ति कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (१)बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
३. **भूमि कर (मालपोत) :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूची (२) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
४. **घरजग्गा बहाल कर :** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा अनुसूची (३) बमोजिम घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
५. **व्यवसाय कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पुँजीगत लगानी र आर्थिक कारोबारका आधारमा अनुसूची (४) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
६. **जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु बाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाँख, छालाजस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरेबापत अनुसूची (५) बमोजिमको कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
७. **सवारीसाधन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारीसाधनमा अनुसूची (६) बमोजिम सवारीसाधन कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
८. **विज्ञापन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची (७) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
९. **मनोरञ्जन कर:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूची (८)बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०. **बहाल बिटौरी शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफूले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका हाटबजार, पसल वा सरकारी जग्गामा अनुसूची (९) मा उल्लेख भए अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
११. **पार्किङ शुल्क:** गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएबापत अनुसूची (१०) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
१२. **सेवा शुल्क, दस्तुर:** गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची (११) मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ ।
१३. **पर्यटन प्रवेश शुल्क:** गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र निर्माण गरेका उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, संग्रहालयजस्ता सम्पदा उपयोग गरेबापत पर्यटकहरुबाट अनुसूची १२ मा उल्लेखित दरमा पर्यटन प्रवेश शुल्क लगाइने र असुलउपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।
१४. **विविध कर दस्तुर :** (१) दफा २ देखि १४ सम्म उल्लेख भएदेखि बाहेक अन्य कर वा दस्तुर असुलउपर गर्नु परेमा राजश्व परामर्श समितिले सिफारिस गरे बमोजिम कार्यपालिकाले निर्णय गरी कर दस्तुर वा शुल्क उठाएमा यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ । यस्ता कर दस्तुर वा शुल्कलाई अनुसूचीमा व्यवस्थित गर्दै लगिने छ ।
१५. **कर छुट:** यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयवेगर कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन।
१६. **कर तथा शुल्क संकलनसम्बन्धी कार्यविधि:** यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलनसम्बन्धी कार्यविधि गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

अनुसूची १
(दफा २ सँग सम्बन्धित)
आ.व.२०७८/७५ लागि सम्पत्ति करको दर

| मूल्याङ्कन रकम रु. | वार्षिक कर रकम रू | रू. |
|-----------------------|--------------------|-------------------|
| १ देखि | २ लाखसम्म | ५०। |
| २ लाख १ देखि | ४ लाखसम्म | ८०। |
| ४ लाख १ देखि | ६ लाखसम्म | १००। |
| ६ लाख १ देखि | ८ लाखसम्म | १२५। |
| ८ लाख १ देखि | १० लाखसम्म | १५०। |
| १० लाख १ देखि | १२ लाख ५० हजारसम्म | १७५। |
| १२ लाख ५० हजार १ देखि | १५ लाखसम्म | २००। |
| १५ लाख १ देखि | १७ लाख ५९ हजारसम्म | २२५। |
| १७ लाख ५० हजार १ देखि | २० लाखसम्म | २५०। |
| २० लाख १ देखि | २२ लाख ५० हजारसम्म | २७५। |
| २२ लाख ५० हजार १ देखि | २५ लाखसम्म | ३००। |
| २५ लाख १ देखि | २७ लाख ५० हजारसम्म | ३२५। |
| २७ लाख ५० हजार १ देखि | ३० लाखसम्म | ३५०। |
| ३० लाख १ देखि | ३५ लाखसम्म | ३७५। |
| ३५ लाख १ देखि | ४० लाखसम्म | ४००। |
| ४० लाख १ देखि | ४५ लाखसम्म | ५००। |
| ४५ लाख १ देखि | ५० लाखसम्म | १०००। |
| ५० लाख १ देखि | ६० लाखसम्म | १५००। |
| ६० लाख १ देखि | ७० लाखसम्म | २०००। |
| ७० लाख १ देखि | ८० लाखसम्म | २५००। |
| ८० लाख १ देखि | १ करोडसम्म | ३०००। |
| १ करोड १ देखि | माथिको मूल्याङ्कन | प्रतिहजार रु.१ थप |

संरचनाको मूल्याङ्कन
(अनुसूची, १ बमोजिम सम्पत्ति कर लिनै प्रयोजनका लागि संरचनाको मूल्याङ्कन)
(प्रति व.फि.)

| संरचना प्रतिवर्गफिट रु. | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------|----------------------------------|--------|---|--------|-------------------------------------|--------|----------------------------------|--------|
| | आर.सी.सी. फ्रेम स्ट्रक्चर | | सिमन्ट जोडाइमा आर.सी.सी. छाना | | माटोको जोडाइमा आर.सी.सी.वा सिमेन्ट जोडाइमा जस्ता वा टायलको छाना टायलको छाना | | माटोको जोडाइमा जस्ता वा टायलको छाना | | सेड | |
| | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | बसोबास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | बसोबास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | बसोबास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | बसोबास | व्यापारिक, औद्योगिक तथा संस्थागत | बसोबास |
| व्यापारिक क्षेत्र | २००० | १५०० | १५०० | १२०० | १०० | ६०० | ४०० | ३०० | २०० | १५० |
| आवासीय क्षेत्र | १७०० | १२०० | १२०० | १००० | ८०० | ६०० | ४०० | ३०० | २०० | १५० |
| कृषि क्षेत्र | ७०० | ६०० | ५०० | ५०० | ४०० | ३०० | ३०० | ३०० | २०० | १५० |
| वन तथा बगर क्षेत्र | ५०० | ४०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | ३०० | २०० | १५० |
| कच्ची घर एकमुष्ट रु.५०००। | | | | | | | | | | |

सम्पत्ति कर लिने प्रयोजनका लागि संरचनाको हारा कट्टी दर (प्रतिशतमा)

| संरचनाको आयु | संरचनाको किसिम | | | | | सेड वा कच्ची घर |
|--------------|---------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------|-----------------|
| | आर.सी.सी फेम स्ट्रक्चर | सिमेट जोडाइमा आर.सी.सी.छाना | माटोको जोडाइमा आर.सी.सी. वा सिमेट जोडाइमा जस्ता, टायलको छाना | माटोको जोडाइमा जस्ता, टायलको छाना | सेड वा कच्ची घर | |
| १-३ वर्ष | ६ | ९ | १२ | १५ | २० | २० |
| ३-६ वर्ष | १२ | १८ | २४ | ३० | ४० | ४० |
| ६-९ वर्ष | १८ | २७ | ३६ | ४५ | ६० | ६० |
| ९-१२ वर्ष | २४ | ३६ | ४८ | ६० | ८० | ८० |
| १२-१५ वर्ष | ३० | ४५ | ६० | ७५ | ९० | ९० |
| १५-१८ वर्ष | ३६ | ५४ | ७२ | ९० | ९० | ९० |
| १८-२१ वर्ष | ४२ | ६३ | ८४ | ९० | ९० | ९० |

अनुसूची २
(दफा, ३ सँग सम्बन्धित)
भूमि कर (मालपोत) लिने प्रयोजनका लागि जग्गाको मूल्याङ्कन

(१) साविक लौकहीको

| क्र.सं. | जग्गाको अवस्थिति | प्रतिकठ्ठा रू. |
|---------|---|----------------|
| १. | साविक वडा नं. ४,५ र ६ को राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | २० लाख |
| २. | साविक वडा नं. ४,५ र ६ का भित्री पिचसँग जोडिएका जग्गाहरु | १० लाख |
| ३. | लौकहीको सबै ग्राभेल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरु | ५ लाख |
| ४. | माथि लेखिएदेखि बाहेक अन्य खेतियोग्य जग्गाहरु | १ लाख |

(२) साविक प.कुशाहाको

| क्र.सं. | जग्गाको अवस्थिति | प्रतिकठ्ठा रू. |
|---------|--|----------------|
| १. | साविक वडा नं. ३,७,९ को राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | ८ लाख |
| २. | साविक वडा नं. १,२,३,४,५,६,७ र ९ का भित्री पिचसँग जोडिएका जग्गा | ५ लाख |
| ३. | प.कुशाहाको सबै ग्राभेल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरु | २ लाख |
| ४. | माथि लेखिएका बाहेक प.कुशाहाको अन्य खेतियोग्य जग्गाहरु | ७० हजार |

(१) साविक श्रीपुरजब्दी

| क्र.सं. | जग्गाको अवस्थिति | प्रतिकठ्ठा रू. |
|---------|--|----------------|
| १. | साविक वडा नं. ८ र ९ को राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | ५ लाख |
| २. | साविक वडा नं.८ का भित्री पिचसँग जोडिएका जग्गाहरु | २ लाख |
| ३. | साविक वडा नं.१,२,३,४ र ६ ग्राभेल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरु | १ लाख |
| ४. | माथि लेखिएका बाहेक श्रीपुरको अन्य खेतियोग्य जग्गाहरु | ५० हजार |

(१) साविक हरिपुर

| क्र.सं. | जग्गाको अवस्थिति | प्रतिकठ्ठा रू. |
|---------|--|----------------|
| १. | साविक वडा नं. ८ र ९ को राजमार्गसँग जोडिएका जग्गाहरु | १५ लाख |
| २. | राजमार्गमा छुने अन्य जग्गाहरु | ३ लाख |
| ३. | हरिपुरको सबै ग्राभेल सडकसँग जोडिएका जग्गाहरु | १ लाख ५० हजार |
| ४. | माथि लेखिएका बाहेक हरिपुरको अन्य, खेतियोग्य जग्गाहरु | ५० हजार |

नोट : अनुसूची (२) बमोजिमको जग्गाको मूल्याङ्कनमा अनुसूची (१) बमोजिमको दरमा भूमि कर (मालपोत) लिइनेछ ।

अनुसूची ३
(दफा, ४ सँग सम्बन्धित)
घर बहाल कर

| क्र.सं. | विवरण | करको दर (प्रतिशतमा) | कैफियत |
|---------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| १. | बहाल भुक्तानी रकममा (जतिसुकै भएपनि) | १० | |

अनुसूची ४
(दफा, ५ सँग सम्बन्धित)
व्यवसाय करको विवरण

१. व्यापारिक वस्तुहरु

(क) चुरोट तथा रक्सीजन्य पदार्थ, हार्डवेयर र ज्वेलर्ससँग सम्बन्धित वस्तुहरुको व्यापार व्यवसाय (मदिरा र कोल्ड ड्रिङ्स सहितको किराना पसलसमेत):

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखदेखि ५ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म | ८००। | ८००। |
| ३. | १५ लाखदेखि १ करोडसम्म | १५००। | १५००। |
| ४. | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म | ५१००। | ५१००। |
| ५. | ५ करोडदेखि माथि | १००००। | १००००। |

(ख) क्यामेरा, टेलिभिजन, चस्मा लगायतका विद्युतीय सामग्री सिडी प्लेयर्स, कम्प्युटर सामग्री समेतका व्यवसायहरु :

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | ५ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | ५ लाख १ देखि २० लाखसम्म | ८००। | ८००। |
| ३. | २० लाख १ देखि १ करोडसम्म | १५००। | १५००। |
| ४. | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | ४५००। | ४५००। |
| ५. | ५ करोड १ देखि माथि | ७०००। | ७०००। |

(ग) ट्याक्टर बिक्री , कार जीप, अटोमोबाइल्स , मोटरपार्टस, मोटरसाइकल, मिल, मेसिनरी आदि ।

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | १ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | ८००। | ८००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाखसम्म | १३००। | १३००। |
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाखसम्म | २५००। | २५००। |
| ५. | २० लाख १ देखि १ करोडसम्म | ३६००। | ३६००। |
| ६. | १ करोड १ देखि माथि | ६०००। | ६०००। |

(घ) किताब, कापी तथा स्टेशनरीसँग सम्बन्धित व्यवसाय (औषधि पसल र किराना व्यवसाय समेतको हकमा) ।

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | ५० हजारसम्म | ३००। | ३००। |
| २. | ५० हजार १ देखि १ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| ३. | १ लाख १ देखि ३ लाखसम्म | ७००। | ७००। |
| ४. | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | ११००। | ११००। |
| ५. | ५ लाख १ देखि २० लाखसम्म | १५००। | १५००। |
| ६. | २० लाख १ देखि २५ लाखसम्म | २५००। | २५००। |
| ७. | २५ लाख १ देखि माथि | ४५००। | ४५००। |

(ड) कृषिसँग सम्बन्धित व्यवसायको हकमा (कृषि फर्म गाई पालन ,सुंगुर पालन बाख्रा पालन व्यवसाय आदि (कृषि सामग्री ,औजार ,मल ,बिउ ,गाई दाना, चोकर, कुखुरा दाना ,पशुपक्षी आहार) ।

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखसम्म | ३००। | ३००। |
| २. | १ लाख देखि ३ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| ३. | ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म | ९००। | ९००। |
| ४. | ५ लाखदेखि २० लाखसम्म | १५००। | १५००। |
| ५. | २० लाखदेखि माथि | ३०००। | ३०००। |

(च) सिसा, फ्रिमिड, कार्पेट तथा सजावट सामान र जनरल गुड्स आदि :

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | १ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | ७००। | ७००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाखसम्म | १२००। | १२००। |
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाखसम्म | २०००। | २०००। |
| ५. | २० लाखदेखि माथि | ४०००। | ४०००। |

(छ) सुति कपडा , रेडिमेड कपडा आदि व्यवसाय:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखदेखि ३ लाखसम्म | ३००। | ३००। |
| २. | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १५ लाखसम्म | ८००। | ८००। |
| ४. | १५ लाखदेखि ३० लाख सम्म | १२००। | १२००। |
| ५. | ३० लाख १ देखि १ करोडसम्म | २५००। | २५००। |
| ६. | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म | ४५००। | ४५००। |
| ७. | ५ करोडदेखि माथि | ७०००। | ७०००। |

२. विशेषज्ञ परामर्श तथा व्यावसायिक सेवा:

(क) चिकित्सक, अहेव, कविराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक, पशु डाक्टर, भेटीरिनरी, सर्जिकललागायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यवसायहरु:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| १. | एम.डी.डाक्टर, डी.डाक्टरलाई | २०००। | २०००। |
| २. | एम.बी.बी.एस पशु डाक्टर | १०००। | १०००। |
| ३. | पशु सहायकलाई | ५००। | ५००। |
| ४. | कविराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक डाक्टर | १०००। | १०००। |
| ५. | सर्जिकल सामान खुद्रालाई | १०००। | १०००। |
| ६. | औषधि पसल थोकलाई | ३०००। | ३०००। |
| ७. | सर्जिकल सामान थोक | ३०००। | ३०००। |
| ८. | भिडियो एक्सरे | २०००। | २०००। |
| ९. | कविराज, होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक अ.हे.व. | १०००। | १०००। |
| १०. | शारीरिक व्यायाम सामग्री बिक्री | १०००। | १०००। |

(ख) टेलिचलचित्र, वृत्तचित्र निर्माण, परामर्श सेवा, अनुसन्धान तथा परामर्शदाता, अनुवादन, छापाखाना, प्रेस, स्क्रिन प्रिन्टर्स आदि :

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखदेखि ३ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | ८००। | ८००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १५ लाखसम्म | १५००। | १५००। |
| ४. | १५ लाखदेखि २० लाखसम्म | २५००। | २५००। |
| ५. | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म | ४०००। | ४०००। |
| ६. | ५ करोडदेखि माथि | ७०००। | ७०००। |

(ग) केवल नेटवर्क

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | ५०० सम्म ग्राहक भएको | ३०००। | ४०००। |
| २. | ५०० देखि १००० सम्म ग्राहक भएको | ६०००। | ८०००। |
| ३. | १००० भन्दा माथि ग्राहक भएको हकमा | प्रतिग्राहक रु. २ | प्रतिग्राहकहरु रु. २। |

(घ) कानून व्यवसायी

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|----------|-----------------------|--------------------------|
| १. | श्रेणी क | २०००। | २०००। |
| २. | श्रेणी ख | १५००। | १५००। |
| ३. | श्रेणी ग | ८००। | ८००। |
| ४. | श्रेणी घ | ४००। | ४००। |

(ङ) लेखापरीक्षक:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|-----------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | वरिष्ठ अधिवक्ता | २०००। | २०००। |
| २. | अधिवक्ता | १५००। | १५००। |
| ३. | अभिवक्ता | १०००। | १०००। |
| ४. | लेखापढी व्यवसाय | ८००। | ८००। |

(च) घर नक्सा बनाउने इन्जिनियर कन्सल्टेन्सी

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | व्यवसाय दर्ता/नवीकरण शुल्क | १०,०००। | ५,०००। |
| २. | कन्सल्टेन्सी नवीकरण | १०००। | १०००। |

(छ) अन्य सेवाहरु वा फर्म:

| क्र. सं. | विवरण | प्रस्तावित रकम रु. (वार्षिक) | क्र. सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|----------|--------------------------|------------------------------|----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | बीमा एजेन्ट स्वदेश विदेश | ३०००। | ४. | शेयर दलाल | ३०००। | ३०००। |
| २. | बीमा एजेन्ट स्वदेशी | २०००। | ५. | अभिकर्ता | ५००। | ५००। |
| ३. | विज्ञापन एजेन्ट | २०००। | ६. | कानूनी फर्म | २०००। | २०००। |

(ज) निर्माण व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|----------|-----------------------|--------------------------|
| १. | श्रेणी क | ३०००। | ५०००। |
| २. | श्रेणी ख | २०००। | ३०००। |
| ३. | श्रेणी ग | १५००। | २५००। |
| ४. | श्रेणी घ | १०००। | १५००। |

(झ) कुटानी पिसानी व्यवसायहरुको हकमा

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| १. | कुटानी तथा पिसानी मात्र | ३००। | ३००। |
| २. | कुटानी, पिसानी र पेलानी | ५००। | ५००। |
| ३. | कुटानी, पिसानी, पेलानी चिउरासमेत | १०००। | १०००। |
| ४. | कुटानी, पिसानी, पेलानी चिउरा, मसला, बेसार | १५००। | १५००। |
| ५. | कुटानी, पिसानी, पेलानी तथा बिक्री वितरण | २०००। | २०००। |

(ञ) उत्पादनमूलक उद्योग:

अर्धप्रशोधित माल वा खेर गइरहेको माल वा अन्य सामानको प्रयोग र प्रशोधन गरी मालसामान उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तो: खेर गइरहेको प्लाष्टिकबाट सामान निर्माण गर्ने र फोहोरबाट मल निर्माण गर्ने व्यवसायको हकमा मा व्यवसायको लगानी हेरी रु. २०००। देखि रु. १०,०००। सम्म लिइने छ ।

(ट) पर्यटन सेवा व्यवसाय :

आवास, लज, होटल फास्टफूड रेस्टुराँ, रिसोर्ट, ट्राभल्स एजेन्सी स्वीमिङ पुल, कन्फेन्स हल आदि

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| १. | सानो ग्रामीण स्तरको चिया पसल वा ५० हजारसम्म लगानी भएको होटल | ३००। | ३००। |
| २. | ५० हजारदेखि १ लाखसम्म | १०००। | १०००। |
| ३. | १ लाखदेखि २ लाखसम्मको | १५००। | १५००। |
| ४. | २ लाखदेखि ५ लाखसम्मको | २०००। | २०००। |
| ५. | ५ लाखदेखि २० लाखसम्म | ३०००। | ३०००। |
| ६. | २० लाखभन्दा बढी | ३५००। | ३५००। |
| ७. | रिसोर्टहरुको हकमा | ००० | ५०००। |

(ठ) सञ्चार सेवा एफ.एम. समेत

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखसम्म | १,०००।०० | १,०००।०० |
| २. | १ लाखदेखि २ लाख ५० हजारसम्म | १,५००।०० | १,५००।०० |
| ३. | २ लाख ५० हजारभन्दा माथि | २,०००।०० | २,०००।०० |
| ४. | एफ.एम.रेडियो प्रसारण | ४,५००।०० | ४,५००।०० |

- मोबाइल टावर ठूलो रु. १५०००। (वार्षिक) सानोको हकमा १०,०००।-
- ठूलो टावर भन्नाले घरको छतमा राखिएका टावरहरुलाई जनाउनेछ भने दुई तल्ले घर सम्मको उचाइ भएका जमिनमा राखिएका टावरहरुलाई समेत ठूलो टावरको रूपमा लिइनेछ ।

४. वित्तीय सेवा

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १ | निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विदेशी बीमा कम्पनी | १०,०००। | १०,०००। |
| २. | विकास बैंक | ७,०००। | ७,०००। |
| ३. | वित्तीय कम्पनीको मुख्य कार्यालय | ५,०००। | ५,०००। |
| ४. | बीमा कम्पनी र मनि ट्रान्सफर | ३,०००। | ३,०००। |
| ५ | ५० लाखसम्म कारोबार(वासलात) भएका सहकारी | १०००। | ५००। |
| ६. | ५० लाखदेखि १ करोड कारोबार(वासलात) भएका सहकारी | १०००। | १०००। |
| ७. | १ करोडदेखि ३ करोडसम्म(वासलात) भएका सहकारी | १,२००। | १,२००। |
| ८. | ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म(वासलात) भएका सहकारी | १,५००। | १,५००। |
| ९. | ५ करोडभन्दा माथि (वासलात) भएका सहकारी | २,०००। | २,०००। |

नोट : बचत तथा ऋणको कारोबार नगरी पूर्णतः कृषिमा आधारित सहकारीका हकमा वार्षिक शुल्क लिइने छैन । माथि उल्लेखित सहकारीहरूको सम्बन्धमा कुनै सिफारिस गन्तुपर्ने भएमा प्रतिसहकारी रु. १,०००। लाग्नेछ ।

५. स्वास्थ्य सेवा

गैह्रसरकारी अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक तथा ल्याबहरुलगायत स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित व्यवसायहरु:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | ५ लाख सम्मको लागि | १,०००। | १,०००। |
| २. | ५ लाखदेखि २० लाखसम्म | २,५००। | २,५००। |
| ३. | २० लाखदेखि १ करोडसम्म | ४,०००। | ४,०००। |
| ४. | १ करोडदेखि ५ करोडसम्म | ६,०००। | ६,०००। |
| ५. | ५ करोडदेखि माथि | ७,५००। | ७,५००। |

६. तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरु

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| १ | तालिम तथा अनुसन्धान ,कम्प्यूटर टाइपिङ्गलगायत फोटोकपीसमेत सञ्चालन भई काम गर्नेहरुको हकमा, कम्प्यूटर तथा भाषा प्रशिक्षण, निजी क्षेत्रबाट दिइने शिक्षा सेवा तथा कोचिङ सेन्टर आदि । | १०००। | १०,००। |

७. मर्मत सेवा

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १ | टयाक्टर, बस, ट्रक, हेवी इक्विपमेन्ट, कार, जीप, सवारी डेन्टिङ्ग मोटर पार्टस, मिल मेसिनरी, एयरकुलर, टायर रिर्सोलिङ्ग, डाइनामाइट | १,०००। | १,०००। |
| २ | मोटरसाइकल, इ-साइकल | ७,००। | ७,००। |
| ३ | रेडियो,घडी र टिभी आदि इलेक्ट्रोनिक सामान | ५००। | ५००। |
| ४ | ग्यास चुल्हो सेल्स, गाडीको पम्प, टायर, टयुव पन्चर, ग्यास वेल्डिङ्ग, बक्सा मर्मत गर्ने, साइकल, रिक्सा, लुगा सिउने मेसिन, अन्य बक्सा मर्मत गर्ने, अन्य फोटोकपी,ब्याग | ४००। | ४००। |

८. अन्य सेवा

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| १ | वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने संस्था, हाउजिङ कम्पनी | ३,०००। | ३,०००। |
| २ | उद्योग संघ संस्था आदिमा स्वदेशी जनशक्ति सप्लाई गर्न | १,५००। | १,५००। |
| ३ | कलर ल्याव | १,०००। | १,०००। |
| ४ | घरजग्गा खरिद विक्री | ५,०००। | ५,०००। |
| ५ | विज्ञापन सेवा, फोटो स्टुडियो | १,०००। | १,०००। |

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|---|---|
| ६ | ब्यूटिपार्लर, केश श्रृङ्गार ,साइनबोर्ड पेन्टिङ सैलुन, नर्सरी | ५००। | ५००। |
| ७ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि) खुद्रा विक्रेता | ६००। | ६००। |
| ८ | मासु (खसी, कुखुरा, रागा, बंगुर आदि)थोक विक्रेता | १,५००। | १,५००। |
| ९ | पञ्चेबाजा | निःशुल्क | निःशुल्क |
| १० | ब्याण्ड बाजा | १०००। | १०००। |
| ११ | शीतभण्डार | ३,५००। | ३,५००। |
| १२ | टेन्ट हाउस | १,०००। | १,०००। |
| १३ | हफ क्याटरिङ | १,०००। | १,०००। |
| १४ | साइबर क्याफे | १,५००। | १,५००। |
| १५ | एग्रोभेट | ८००। | ८००। |
| १६ | कवाडी पसल थोक | ३,५००। | ३,५००। |
| १७ | कवाडी पसल खुद्रा | २,०००। | २,०००। |
| १८ | हुवानी सेवा शाखा भएका | २,५००। | २,५००। |
| १९ | हुवानी सेवा शाखा नभएका | १,५००। | १,५००। |
| २० | खाना मात्र बिक्री गर्ने होटल | १,०००। | १,०००। |
| २१ | सेटरिङ व्यवसाय | २,०००। | २,०००। |
| २२ | १ मेसिन राखी कपडा सिलाइ गर्ने रु.३,००। | थप १ मेसिन बराबर रु. १००। | थप १ मेसिन बराबर रु. १००। |
| २३ | खाद्यान्नसम्बन्धी काँटा व्यवसाय | १,५००। | १,५००। |
| २४ | पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पम्प | न्यूनतम रु. ७,०००।प्रति मेसिन थप रु. २,०००। | न्यूनतम रु. ७,०००।प्रति मेसिन थप रु. २,०००। |
| २५ | ग्यास बिक्री डिलर | १,०००। | १,०००। |
| २६ | भाँडावर्तन, जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी, हेल्थ केयर, कृत्रिम गहना, फेन्सीसमेत खुद्रा विक्रेता | १,०००। | १,०००। |
| २७ | भाँडावर्तन ,जुत्ताचप्पल, कस्मेटिक, मनहारी, हेल्थ केयर, कृत्रिम गहना,फेन्सीसमेत थोक विक्रेता | २,०००। | २,०००। |

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---|-----------------------|--------------------------|
| २८ | डिपार्टमेन्ट स्टोर रेस्टुरेन्ट बेकरी सहितको | १०,०००। | १०,०००। |
| | डिपार्टमेन्ट स्टोर | ५,०००। | ५,०००। |

९. उद्योग

चक उद्योग, दाना, फिनेल उद्योग, निर उद्योग, औषधि उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योगको डिपो, सौर्य उर्जा उत्पादन, मिश्री, चकलेट उद्योग, पापड चिप्स उद्योग, पाउरोटी उद्योग, बरफ उत्पादन, भुल तथा पर्दा उत्पादन, तारजाली उत्पादन गर्ने, नानोकन उद्योग, काष्ठ उद्योग, डेरी उत्पादन, चिनी उद्योग, डोरी, डब्बा, बाल्टिन आदि बनाउने उद्योग, निर्माण उद्योग, खनिज उद्योग, सेलर तथा उर्जामूलक उद्योग लगायतका उद्योगहरूको हकमा ।

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | ३ लाखसम्म | ५००। | ५००। |
| २. | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | १,०००। | १,०००। |
| ३. | ५ लाख १ देखि १० लाखसम्म | १,५००। | १,५००। |
| ४. | १० लाख १ देखि २० लाखसम्म | २,०००। | २,०००। |
| ५. | २० लाख १ देखि १ करोडसम्म | ५,०००। | ५,०००। |
| ६. | १ करोड १ देखि ५ करोडसम्म | १५,०००। | १५,०००। |
| ७. | ५ करोडदेखि माथि | ३५,०००। | ३५,०००। |

१०. ग्रिल उद्योग

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | १ लाखदेखि २ लाखसम्म | ७००। | ७००। |
| २. | २ लाख १ देखि ३ लाखसम्म | १०००। | १०००। |
| ३. | ३ लाख १ देखि ५ लाखसम्म | १५००। | १५००। |
| ४. | ५ लाख १ देखि १० लाखसम्म | २,०००। | २,०००। |
| ५. | १० लाख १ देखि २० लाखसम्म | ३,५००। | ३,५००। |
| ६. | २० लाख १ देखि माथि | ५,५००। | ५,५००। |

नोट : उल्लेखित व्यवसायको हकमा अन्य निकायलाई गरिने सिफारिसमा तोकिए बमोजिम थप दस्तुर लाग्नेछ ।

११. अन्य वर्गीकरण नखुलेका व्यवसाय

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १. | आलु, प्याज, हरियो तरकारी, फलफूल थोक बिक्री | १०००। | १०००। |
| २. | खुद्रा तरकारी, फलफूल, पान पसल | ६००। | ६००। |

नोट:

- माथि उल्लेखित किसिम र शीर्षकमा नपरेका व्यवसाय र उद्योग दर्ता हुन आएमा व्यवसाय र उद्योगको किसिम हेरी माथि लेखिए बमोजिमको कर दरमा नघटनेगरी वार्षिक कर लिई व्यवसाय प्रमाणपत्र दिइने छ ।
- गाउँपालिकामा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका फर्म, पसल, उद्योग आदिलाई बन्द गर्नुपर्दा आवश्यकता अनुसार निरीक्षण गरी विगत वर्षको लाग्ने दस्तुर र जरिवानासमेत असुल गरी सोको विवरण छुट्टै फायल खडा गरी अद्यावधिक गरी राखिनेछ ।
- व्यावसयिक फर्म नामसारी गर्दा रु. ३००। राजश्व लिई नामसारी गरिनेछ ।
- गाउँपालिकालाई आवश्यक परेमा व्यवसायको किसिम निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा निजको व्यवसायको कारोबारको आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कारोबार प्रमाणित विवरण माग गर्न सकिनेछ । साथै, गाउँपालिकाले तोकेको कर्मचारीबाट निरीक्षण गरी प्रतिवेदनका आधारमा कर तय गरिनेछ ।
- गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने राजश्व, शुल्क, दै-दस्तुर नबुझाएमा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सिफारिस लगायतका सबै प्रकारका सेवा रोक्का गर्न सकिनेछ ।
- अन्य बाँकी करहरूका हकमा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको परिधिभित्र रही गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ, जुन सामान्यतया कारोबारको स्तर हेरी वार्षिक रु. १००। देखि रु. ५०००। सम्म हुनेछ । बक्यौता व्यवसाय करमा १० प्रतिशत दण्ड जरिवाना तोकिएको छ ।

१२. दैनिक गुद्री / हाटबजार / साप्ताहिक हाटबजार (व्यवसाय) कर :

गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लाग्ने दैनिक गुद्री/हाटबजार/साप्ताहिक हाटबजारमा तथा अस्थायी हाटबजार र घुम्ति पसल आदिमा प्रतिदिन देहायका दरले कर लाग्नेछ :

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|
| १. | माछा, मासु बिक्रीसम्बन्धी | खसी, बोका काटी बिक्री गर्ने पसलमा प्रतिगोटा | ४०। | ४०। |
| | | सुंगुर, बंगुर काटी बिक्री गर्ने पसलमा प्रतिगोटा | १००। | १००। |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|---|-----------------------|--------------------------|
| | | राँगा काटी बिक्री गर्ने पसलमा प्रतिगोटा | १००। | १००। |
| | | माछा बिक्री गर्ने पसल | ४०। | ४०। |
| | | माछा बिक्री गर्ने सानो टोकरी | ३०। | ३०। |
| | | हाँस, लोकल, ब्रोइलर कुखुरा पसल | ४०। | ४०। |
| २. | कपडा तथा जुत्ताचप्पलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा | रेडिमेड सामान र थान कपडा बिक्री गर्ने पसल सानो | १५। | १५। |
| | | रेडिमेड सामान र थान कपडा बिक्री गर्ने पसल ठूलो | ३०। | ३०। |
| | | जुत्ताचप्पल बिक्री गर्ने पसल ठूलो | २५। | २५। |
| | | जुत्ताचप्पल बिक्री गर्ने पसल सानो | २०। | २०। |
| | | जुत्ता चप्पल सिलाइ गर्ने मोची | १०। | १०। |
| ३. | तरकारी तथा फलफूलसँग सम्बन्धित व्यवसायमा (सबैलाई आधा गर्ने) | फलफूल, नास्ता ठेलामा राखी बिक्री गर्ने | २०। | २० |
| | | सागसब्जी डोकोमा वा डालोमा ल्याई बेच्ने | १०। | १०। |
| | | भारमा सब्जी ल्याई बेच्ने | १०। | १०। |
| | | सिजन अनुसारको सागसब्जी, आलु पसल ठूलोमा | २५। | २५। |
| | | सिजन अनुसारको साग सब्जी आलु पसल सानो | २०। | २०। |
| | | फलफूल सागसब्जी प्रतिबयलगाडा | २०। | २०। |
| | | फलफूल सागसब्जी प्रतिबोरा र अन्य साना फलफूल प्रत्येक पसल | २५। | २५। |
| | | पान पसल | १५। | १५। |
| | | चामल, दाल, अदुवा, लसुन, खुर्सानी आदि बिक्री गर्ने पसल | १५। | १०। |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ४. | खाद्यान्नसँग सम्बन्धित | मकै पोली बेच्ने | ५ | ० |
| | | किराना पसल | १०१ | १०१ |
| | | माछा, मासु, तरकारी बिक्री गर्ने | २०१ | १०१ |
| | | मिठाई पसल | १० | १० |
| ५. | परम्परागत सीपसँग सम्बन्धित व्यवसाय | माटाको भाँडा बेच्ने पसल ठूलो | १५ | १० |
| | | माटाको भाँडा बेच्ने पसल सानो | १०१ | ५ |
| | | कुचो, कुनीया नाड्लो बेच्ने | १० | १० |
| | | जडीबुटी बिक्री गर्ने, कपाल काट्नेलाई | १० | १० |

१३. यस गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लाग्ने दैनिक गुद्री/हाटबजार/साप्ताहिक हा बजारमा, अस्थायी हाटबजार र घुम्ति पसलमा प्रतिदिन देहायका दरले कर लाग्नेछ :

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|--------------|------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|--|
| १. | पशुपक्षी बिक्रीसँग सम्बन्धित | जिउँदो खसी, बोका, राँगा, सुँगुर बेच्नेलाई प्रतिगोटा | ८० | ४० | एउटा मात्र हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई कर लाग्ने छैन |
| | | हाँस, परेवा, कुखुरा बेच्नेलाई | १० | १० | |
| २. | | चुरा, धागो, टीका श्रृङ्गार मनिहारासँग सम्बन्धित | १५ | १५ | |
| | | मुरली, बाँसुरी, गुलेली, थैली जुम्रा, उडुस मार्ने औषधि बेच्ने | छुट | छुट | |
| ३. | | खेल, तमासा खेलाउनेलाई | २५१ | २५१ | |
| | | प्रचारप्रसार गरी व्यवसाय गर्ने | २० | २० | |
| | | बाँस प्रतिवयल | २० | २० | |
| | | बाँस प्रतिटुक | २००१ | २००१ | |
| | | खटियामा सामान राखी बेच्ने | ५१ | ५ | |
| | | फलामको औजार तथा सामान बेच्ने | १० | १० | |
| | | भाँडाकुँडा पसल | १५ | १५ | |
| फोटो फ्रेमिङ | ५१ | ५१ | | | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| | | मर्मत, (कृकर लाइट, छता, बेच्ने आदि । | १० | ५ | |

१४. कोशी गाउँपालिकामा माछा भित्र्याएको वा बाहिर लगेबापत

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | पृष्टयाई |
|---------|-----------|-----------------------|--------------------------|----------|
| १. | साइकल | लागु नभएको | २५ | |
| २. | मोटरसाइकल | | ५० | |
| ३. | पिकअप | | ५०० | |
| ४. | मिनी ट्रक | | १००० | |
| ५. | ठूलो ट्रक | | २००० | |

अनुसूची ५

(दफा ६ सँग सम्बन्धित)

जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको विवरण

| क्र.सं. | विवरण | करको दर | कैफियत |
|---------|---|---------|--------|
| १ | जडिबुटी, र जीवजन्तुको व्यवसाय गर्ने देहाय बमोजिमको व्यवसायहरु | | |
| | १. ५ लाखसम्म पुँजी भएको | ५०० | |
| | २. २५ लाखसम्म पुँजी भएको | १००० | |
| | ३. २५ लाखभन्दा बढी | २००० | |
| २. | कवाडी कर | | |
| | १. फलाम प्रति के.जी. | १ | |
| | २.खाली सिसी (सबै खाले) प्रतिबोटल | ०.१० | |
| | ३.प्लाष्टिक प्रतिकेजी | ०.५० | |
| | ४.कागज कार्टुन प्रतिकेजी | ०.५० | |
| | ५.पुरानो टायर, ट्युब प्रतिगोटा | ०.५० | |
| | ६.पुराना साइकल | १ | |

अनुसूची ६
दफा ७ सँग सम्बन्धित

१. सवारी दर्ता तथा वार्षिक सवारी कर

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १. | बस, ट्रक, लोरी र अन्य हेभी गाडी | १०० | २००० |
| २. | भाडाको कार जीप | १०० | १००० |
| ३. | भाडाको मिनी बस र ट्रक | १०० | १००० |
| ४. | जीप, कार, मिनी बस मिनी ट्रक र पिकअप (रातो नम्बर प्लेट) | १०० | १५०० |
| ५. | मोटरसाइकल स्कुटरलाई वार्षिक | ५० | ५० |
| ६. | अन्य सवारीसाधनहरु | १०० | १०० |

नोट : कोशी गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको हकमा मात्र वार्षिक सवारीसाधन कर लिइनेछ भने अन्यका हकमा पटके सवारीसाधन कर लिइने छ । कोशी गाउँपालिकामा स्थायी बसोबास गर्नेका हकमा वार्षिक सवारी कर लिइनेछैन । र त्यस्ता करदताको लागि रु.५० लिई परिचयपत्र दिइनेछ । जुन वार्षिक रुपमा नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।

२. इ-रिक्सा दर्ता नवीकरण तथा नामसारी दस्तुर:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| १. | सवारी सडक सुधार कर | १०,०००। | ५,०००। |
| २. | दर्ता शुल्क | १४००। | १५००। |
| ३. | नवीकरण दस्तुर (९० दिनसम्म) | ५००। | ५००। |
| ४. | नामसारी दस्तुर | ८००। | १०००। |
| ५. | अग्रिम आयकर | २०००। | २०००। |
| ६. | जरिवाना बिलम्ब दस्तुर: | | |
| | क. पहिलो ९० दिनपछि) २ महिनासम्म | ५५ | |
| | ख. दोश्रो दुई महिनासम्म | १० ५ | |
| | ग. तेश्रो दुई महिनादेखि | १५५ | |
| | घ. त्यसपछि १ वर्षसम्म | २०५ | |
| | ङ १ वर्षभन्दा माथि | २५५ | |

२. गाउँपालिकाले लगाउने पटके सवारी कर

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १. | निजी तथा भाडाका बस, ट्रक, ट्यांकर, लोरीमा प्रतिपटक | १५ | १५ |
| २. | निजी तथा भाडाका कार, जीप, भेन प्रतिपटक | १५ | १५ |
| ३. | विदेशी न. प्लेट भएका १ नं. बमोजिमका सवारी साधनको | २० | २० |
| ४. | विदेशी न. प्लेट भएका २ नं. बमोजिमका सवारी साधनको | १५ | १५ |

नोट: सरकारी गाडीहरु, कूटनैतिक नियोगका गाडीहरु, दमकल, एम्बुलेन्समा पटके सवारी कर लिन नपाइने । साथै कोशी गाउँपालिकामा दर्ता नभएका रिक्साहरुको हकमा प्रतिदिन रु.१५। पटके सवारी कर लिइनेछ ।

अनुसूची ७
दफा ८ सँग सम्बन्धित
विज्ञापन कर

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|
| १. | होर्डिङ बोर्ड प्रतिवर्गफिट | ७५ | ७५ |
| २. | सब बोर्ड प्रतिवर्गफिट | ४० | ४० |
| ३. | ग्लोसाइन बोर्ड प्रतिवर्गफिट | ९० | ९० |
| ४. | व्यानर प्रतिगोटा प्रतिहप्ता | ७५ | ७५ |
| ५. | पोल बोर्ड प्रतिगोटा प्रतिवर्ष | १०००। | १०००। |
| ६. | डिजिटल बोर्ड प्रतिगोटा प्रतिवर्ष | २००। | २००। |
| | माथि उल्लेखित प्रकार बाहेकका हकमा प्रतिवर्गफिट | ५० | ५० |

अन्य विषयहरूका हकमा विज्ञापन कर:

| | |
|----|--|
| १. | ब्यानर प्रतिगोटा प्रतिहप्ता रु. १००। मात्र । सडक क्रस गरेर ब्यानर राख्न पाइने छैन । |
| २. | ब्यानर व्यापारिक प्रति गोटा रु. २००। मात्र । (दुई हप्ताको लागि) |
| ३. | गेट राख्न गाउँपालिकाको स्वीकृति लिएर मात्र प्रतिहप्ता रु. ५००। |
| ४. | गाउँपालिकाको स्वीकृत लिई सम्झौता गरेमा कर लिन पाइने छैन । ठेक्कामा लिन पाइने छैन । |
| ५. | गाउँपालिकाको स्वीकृत गा.पा.को क्षेत्रमा मात्र लिन पाइनेछ । स्वीकृत लिई उठाउन पाइने छैन । |
| ६. | प्रचारप्रसार रिक्सा र गाडीबाट माइकिङ्ग गरेबापत प्रतिदिन रु. १००। मत्र । राजनैतिक दल र सार्वजनिक सूचनामा लिन पाइनेछैन । सार्वजनिक सूचनामा लिन पाइने छैन । |
| ७. | बियर, मदिरा, चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापनलाई निजी तथा सार्वजनिकस्थलमा राख्न स्वीकृति दिइने छैन । लमा राख्न स्वीकृत दिइने छै । |
| ८. | राजनैतिक, धार्मिक र सामाजिक ब्यानर ३ हप्तासम्म नि: शुल्क राख्न दिने । |

अनुसूची ट
दफा ५ सँग सम्बन्धित
मनोरञ्जन कर

१. कोशी गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालित सिनेमा हलहरूबाट कुल सिट सङ्ख्याको ३५ प्रतिशत सिटलाई पूरा सिट सङ्ख्या मानी प्रत्येक टिकटमा लाग्ने प्रवेश शुल्कको २ प्रतिशत हुने रकम मनोरञ्जन करबापत असुल गर्न सकिने छ । माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रति टिकटमा मनोरञ्जन कर लिइने व्यवस्था नभए सम्मका लागि वार्षिक रु. ७०००। मनोरञ्जन करको रुपमा कर रकम लिइनेछ ।
२. साँकृतिक प्रदर्शन हल, नाच, घर, दोहोरी सङ्गीत तथा अन्य मनोरञ्जन सामग्री प्रदर्शनीमा प्रवेश शुल्कमा दुई प्रतिशत मनोरञ्जन कर लानेछ ।
३. जादु, सर्कस, चटक र मेला आयोजनास्थलमा मनोरञ्जन करबापत अनुमतिका लागि गरिने सिफारिसका दस्तुरका अतिरिक्त प्रत्येक दिन रु. २००। लिइने छ ।
४. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जेटबोट, पाराग्लाइडिङ, ज्याफिटड र बोटिङ कर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम असुलउपर गरिनेछ ।

अनुसूची ९
(दफा १० सँग सम्बन्धित)
बहाल बिटौरी शुल्क

- क. कोशी गाउँपालिका ३ नं. वडा कार्यालयअगाडि रहेका सार्वजनिक भवनको मासिक रु.१०००।
- ख. कोशी गाउँपालिका वडा नं.१ को सभाहलको प्रतिदिन रु.१०००।
- ग. कोशी गाउँ कार्यपालिकाको सभाहलको प्रतिदिन रु.१०००।
- घ. प्रोजेक्टर भाडा प्रतिदिन रु. ५००
- ड. माथि उल्लेखित संरचनाहरूवाहेक गाउँपालिकाभित्र निर्माण भएका अन्य सार्वजनिक भवन, टहरा लगायतका संरचनाहरूको भाडा गाउँ कार्यपालिकाले निर्णयबाट तोके बमोजिम लिनेछ।

अनुसूची १०
(दफा ११ सँग सम्बन्धित)
पार्किङ शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | करको दर प्रतिदिन रु. | | कैफियत |
|---------|---|----------------------|---------------|--------|
| | | स्वदेशीको हकमा | विदेशीको हकमा | |
| १. | बस, ट्रक, लोरी, हेभी गाडी | १५ | ३० | |
| २. | माइक्रो, मिनी बस, मिनी ट्रक | १० | २५ | |
| ३. | ट्याक्टर, जीप, कार, भेन | १० | २० | |
| ४. | अटो रिक्सा, इ-रिक्सा, पावर ट्रिलर, टेम्पो | ५ | १० | |

नोट: सवारी पार्किङ स्थान गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ

अनुसूची ११
(दफा १२ सँग सम्बन्धित)
सेवा शुल्क तथा दस्तुर

क) सिफारिसहरूको हकमा:-

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि दर | कैफियत |
|---------|------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| | | मोही नामसारी तथा मोही बाँडफाट सिफारिस | ४००। | ५००। | एक कठुठाभन्दा |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालू आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि दर | कैफियत |
|---------|--------------------------|--|--------------------|--------------------------------|---|
| १ | घर जग्गासम्बन्धी सिफारिस | | | | माथि प्रतिकठ्ठा थप रु. १००। |
| | | जग्गा नामसारी सिफारिस | ४००। | ५०० | |
| | | मोही लगत कट्टा सिफारिस | ४००। | ५००। | |
| | | अपुताली सिफारिस दस्तुर | १५००। | २५००। | एक कठ्ठाभन्दा माथि प्रतिकठ्ठा थप रु. २००। |
| | | चार किल्ला सिफारिस प्रतिकित्ता | २००। | १००। | |
| | | निवेदन दस्तुर | १०। | १०। | |
| | | पक्की घर प्रमाणित | ९००। | १०००। | |
| | | कच्ची घर प्रमाणित | ३००। | छुट | |
| | | बसोबास प्रमाणित | ५००। | ३००। | |
| | | व्यावसायिक घर कोठा खोल्ने | ५००। | ५०० | |
| | | आवासीय घर कोठा खोल्ने | ३००। | ४००। | |
| | | घर नामसारी | | | |
| | | हकभोग, जोतभोग तथा छुट दर्ता सिफारिस | ५००। | ५००। | |
| | | व्यापार उद्योगसम्बन्धी घरमा आगलागी | २५०। | १०००। | बीमा प्रयोजनका लागि मात्र, अन्यका लागि निःशुल्क |
| | | साना घरेलु उद्योगमा आगलागी सिफारिस | २५००। | ५०००। | बीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निःशुल्क |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि दर | कैफियत |
|---------|------|--|--------------------|--------------------------------|---|
| | | मभौला उद्योगमा आगलागी सिफारिस | ४०००। | ७५००। | बीमा प्रयोजनका लागि मात्र,अन्यका लागि निःशुल्क |
| | | ठूला उद्योगमा आगलागी सिफारिस | ७५००। | १००००। | बीमा प्रयोजनका लागि, अन्यका लागि निःशुल्क |
| | | घर टहरामा आगलागी सिफारिस | निःशुल्क | निःशुल्क | |
| | | नक्सा पास किताब दस्तुर | ५००। | ५००। | लागु भएको अवस्थामा |
| | | संघ संस्थाको बैंक खाता खोल्दा | ३००। | ५००। | रु. तीन लाख सम्ममा रु. ५० सोभन्दा माथि १०००००० सम्ममा रु. ३०० सोभन्दा बढी रु. ५०० |
| | | रिक्सा ठेलाको ब्लु बुक दस्तुर | ६०। | ५०। | |
| | | नाम, उमेर थरलगायत संशोधन | ५००। | १००। | |
| | | व्यवसाय प्रमाणपत्र दस्तुर | ५००। | ५००। | पुँजीको आधारमा |
| | | व्यवसाय प्रमाणपत्र नवीकरण | | ३००। | |
| | | पक्की घर कायम सिफारिस वा घर निर्माणाधीन रहेको | ७५० वर्गफिट | ७५० वर्गफिट | सोभन्दा माथिको हकमा |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि दर | कैफियत |
|---------|--|--|------------------|-----------------------|--|
| | | सिफारिस | सम्मको घरमा ५१०१ | सम्मको घरमा ५१०१ | प्रतिवर्गफु रु.१ प्रारम्भदेखि |
| | | टिनको छाना भएको कच्ची घर कायम सिफारिस | ३००१ | ३००१ | जति क्षेत्रफल भएपनि |
| | | कच्ची घर सिफारिस | २००१ | २००१ | |
| | | तीनपुस्ते खुल्ने सिफारिस | ५००१ | १००१ | |
| २ | नागरिकतासंग सम्बन्धित सिफारिस | नागरिकता प्रमाणपत्र तथा सनाखत सिफारिस | १००१ | छुट | |
| | | जन्मका आधारमा नागरिकता सिफारिस | | २०० | |
| | | नागरिकता सर्जिमिन | ३००१ | ३००१ | |
| | | नागरिकताको प्रतिलिपि | ५०१ | १००१ | |
| | | अंगीकृत नागरिकता | १०००१ | १०००१ | |
| | | वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सिफारिस | ५०० | २०० | |
| ३ | पञ्जीकरणसंग सम्बन्धित प्रमाणित सिफारिस | विवाह प्रमाणित | १५०१ | १००१ | |
| | | जन्म प्रमाणित | १५०१ | १००१ | |
| | | मृत्यु प्रमाणित | १००१ | १००१ | |
| | | बसाइँसराइ प्रमाणित | ५००१ | १५०१ | |
| | | अविवाहित प्रमाणित | १५०१ | १००१ | |
| ४ | व्यक्तिसंग सम्बन्धित सिफारीस | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारिस स्थायी बसोवास भएकाका लागि | १००१ | १००१ | उल्लेखित सिफारिसमा सर्जिमिन गर्नु परेमा सोको दस्तुर पुनः लाग्नेछ । |
| | | चारीत्रिक एवम् सूचीकृत वर्ग सिफारिस कोशी गाउँपालिकामा स्थायी बसोवास नभएकाको हकमा | १००१ | २००१ | |
| | | नेपाली पेन्सनपट्टा बाहकका लागि गरेको जुनसुकै सिफारिस | ३००१ | ३००१ | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालू आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि दर | कैफियत |
|---------|------|---|--------------------|--------------------------------|--|
| | | भारतीय पेन्सन वाहकका लागि जुनसुकै सिफारिस | १६००। | १६००। | |
| | | अन्य देशका पेन्सन वाहकको हकमा | ३०००। | ३०००। | |
| | | कृषिसँग सम्बन्धित सिफारिसको हकमा बोर्ड गर्नसमेत | १००। | १००। | |
| | | वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु हुनेको सिफारिस | निःशुल्क | निःशुल्क | |
| | | व्यवसाय बन्द सिफारिस | २५०। | २००। | |
| | | पसल कोठामा आगजनी भएको सिफारिस | निःशुल्क | निःशुल्क | |
| | | नाता प्रमाणित नेपालीमा | २००। | २००। | |
| | | नाता प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा | ३००। | ३००। | |
| | | सवै प्रकारका अङ्ग्रेजी सिफारिस | ३००। | ३००। | |
| | | नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने सिफारिस | ५००। | ५००। | १ भन्दा बढी रुख भए प्रतिरुख गोलिया ३ फिटभन्दा माथिको प्रतिरुख रु.१००। |
| | | सहूलियत काठको सिफारिस | ३००। | ३००। | दाउराको प्रयोजन भए प्रतिट्याक्टर रु ४००। |
| | | अन्य माथि उल्लेख नभएका सिफारिस | ५००। | २५०। | सुकुम्बासी समेतको हकमा |
| | | विद्युत सिफारिस | ५०। | ५०। | |

ख) अमिनबाट गरिने जग्गा छुट्याउने काम

| क्र.सं. | विषय/ वडा नं. | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि | कैफियत |
|---------|---|---------------------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| | जग्गा छुट्याउने कार्य | १,२ र ३ | ८००। | ८००। | |
| | जग्गा छुट्याउने कार्य | ४,५ र ६ | १०००। | १०००। | |
| | जग्गा छुट्याउने कार्य | ७ र ८ | १२००। | १२००। | |
| | दूरी प्रमाणित लगायतका अन्य अमिनसँग जोडिएका सिफारिस | बैंकिङ प्रयोजनका लागि । | ५००। | ५००। | |
| | | सर्वसाधरणसँग जोडिएका सिफारिस | १५०। | १५०। | |
| | | किचौला परी आएको हकमा | ५००। | ५००। | |
| | | माथि उल्लेखित बाहेकको हकमा | ५००। | ५००। | |

ग) उद्योग दर्ता लगायतका सिफारिसहरु

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि | कैफियत |
|---------|------|---------------------|--------------------|--------------------------|--------|
| | | चाउचाउ उद्योग | २१००। | २१००। | |
| | | बिस्कृत उद्योग सानो | २१००। | २१००। | |
| | | बिस्कृत उद्योग ठूलो | ४१००। | ४१००। | |
| | | चप्पल उद्योग | २१००। | २१००। | |
| | | सलाई उद्योग | २१००। | २१००। | |
| | | प्लाई उद्योग | ५१००। | ५१००। | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि | कैफियत |
|---------|------|---|--------------------|--------------------------|--------|
| | | सा उद्योग | २०००। | २०००। | |
| | | कपडा उद्योग हाते | २१००। | २१००। | |
| | | कपडा उद्योग मेसिन | ५१००। | ५१००। | |
| | | बरफ उद्योग | ६००। | ६००। | |
| | | कन्फेक्सनरी उद्योग | २५००। | २५००। | |
| | | काष्ठ उद्योग | २०००। | २०००। | |
| | | स-मिल सहितको काष्ठ उद्योग | ५१००। | ५१००। | |
| | | फर्निचर मात्र | १५००। | १५००। | |
| | | ग्यारेज | १०००। | १०००। | |
| | | पेट्रोल पम्प | ११०००। | ११०००। | |
| | | मट्टितेल डिलर | ३०००। | ३०००। | |
| | | स्टेशनरी उद्योग | १५००। | १५००। | |
| | | डिस्टिलरी उद्योग | ११०००। | ११०००। | |
| | | हल्का पेय पदार्थ | ३१००। | ३१००। | |
| | | प्लाष्टिक उद्योग | ५०००। | ५०००। | |
| | | पाउरोटी केक | १२००। | १२००। | |
| | | पशु आहार | ५००। | ५००। | |
| | | ग्रील उद्योग | १०००। | १०००। | |
| | | गलैचा उद्योग | २०००। | २०००। | |
| | | गार्मेन्ट उद्योग | २५००। | २५००। | |
| | | भुजिया मिल | १०००। | १०००। | |
| | | इट्टा उद्योग आधुनिक भट्टाजडित | १००००। | १००००। | |
| | | इट्टा तथा टायल आधुनिक यन्त्र जडान गरिएका/नगरिएका | ५०००। | ५०००। | |
| | | पशु आहार | ५००। | ५००। | |
| | | तामा, आल्मोनियमजस्ता धातु उद्योग | १०००। | १०००। | |
| | | प्रेसबाहेक प्रिन्टिङ | १,५००। | १,५००। | |
| | | जुस उद्योग | १,०००। | १,०००। | |
| | | चुरोट बिडी | ५,०००। | ५,०००। | |
| | | वेतवाँस फर्निचर | ५००। | ५००। | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आ.व. को दर | आगामी आ.व. का लागि | कैफियत |
|---------|------|---|------------------------------|------------------------------|--------|
| | | लुब्रिकेन्ट उद्योग | १५,०००। | १५,०००। | |
| | | पोल्ट्री फर्म सानो (५ लाखभन्दा कम पुँजी) | | २५००। | |
| | | पोल्ट्री फर्म मभौला(५ देखि २५ लाख पुँजी भएको) | | २००००। | |
| | | पोल्ट्री फर्म ठूला(२५ लाखभन्दा माथि अधिकृत पुँजी) | | ५००००। | |
| | | पोल्ट्री फर्म ह्याचरी दर्ता सिफारिस | | ५००००। | |
| | | माथि उल्लेख नगरिएका उद्योगहरुको हकमा | ६००। देखि २०,०००। सम्म | ६००। देखि २०,०००। सम्म | |

सम्पूर्ण उद्योग व्यवसाय दर्ताको नवीकरण दस्तुर तत्काल कायम रहेको अधिकृत पुँजीको ०.१० प्रतिशत ।

घ. निजी शिक्षण संस्था दर्ता एवं अन्य कामका लागि सिफारिस :

| क्र.सं. | विषय विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | | कैफियत |
|---------|-------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|
| | | आवेदन दस्तुर | शुल्क | आवेदन दस्तुर | शुल्क | |
| १ | पूर्वप्राथमिक | २,०००। | ३,०००। | २,०००। | ३,०००। | |
| २ | आधारभूत प्रति थप कक्षा | २,०००। | ३,०००। | २,०००। | ३,०००। | |
| ३ | माध्यमिक प्रति थप कक्षा | २,०००। | ४,०००। | २,०००। | ४,०००। | |
| ४ | स्तरवृद्धि | २,०००। | ५,०००। | २,०००। | ५,०००। | |

(ङ) परिवारभित्र घरबाटो प्रमाणित, अंशवण्डा, हक छोड्ने नामसारी, बकस, दाइजो आदिको हकमा :

| क्र.सं. | विषय विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------|
| १ | १ कठठा सम्मको | १२५। | २००। | |
| २ | १ कठठादेखि ३ कठठा सम्मको | ३००। | ३००। | |
| ३ | ३ कठठादेखि ५ कठठा सम्मको | २००। | ५००। | |

| क्र.सं. | विषय विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| ४ | ५ कठठादेखि १० कठठा सम्मको | ६००। | १,०००। | |
| ५ | १० कठठादेखि १ विघा सम्मको | १,०००। | २,०००। | सोभन्दा माथि प्रतिकठठा रु. ५० का दरले |

(च) घरबाटो प्रमाणित (राजीनामा/बिक्री प्रयोजनका लागि)

| क्र.सं. | विषय विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|--------|
| १ | महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाहरुको हकमा प्रतिकठठा रु. | ४००। | ५००। | |
| २ | कालोपत्रे सडकले छोएका जग्गाहरु प्रतिकठठा रु. | २५०। | ४००। | |
| ३ | शाखा सडक तथा प्लटिङ्ग जग्गाहरु प्रतिकठठा रु. | २५०। | ३५०। | |
| ४ | ग्राभेल सडकले छोएका जग्गाहरु प्रतिकठठा रु. | २००। | २५०। | |
| ५ | कच्ची सडकले छोएका जग्गाहरु प्रतिकठठा रु. | १००। | १५०। | |
| ६ | खेतियोग्य जमिन प्रतिकठठा रु. | १००। | १००। | |

गुठी जग्गाको बिक्री प्रयोजनका लागि गरिने सिफारिसमा न्यूनतम रु ३००। प्रतिकठठा । घर भए प्रतिकठठा रु. १२५।

(छ) घरनक्सा पास दस्तुर

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|------|---|-----------------------|--------------------------|--------|
| १ | | १००० वर्गफुटसम्म नक्सा पास गर्दा प्रतिवर्गफुट | २। | २.५०। | |
| | | १००१ वर्गफुट १५०० सम्मको लागि प्रतिवर्गफुट | २.५०। | ३। | |
| | | १५०१ देखि २५००। वर्गफुट सम्मको लागि | ३.५०। | ४। | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|------------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | २५०१ वर्गफुटदेखि ४००० वर्गफुट सम्मको लागि | ४.५०१ | ५१ | प्रतिताल्ला थप रु. १ गाँडे जानि |
| | | ४००१ वर्गफुटभन्दा माथि जतिसुकै भएपनि | ५.००१ | ५.५०१ | |
| | | पर्खालप्रति रनिङ्ग फिट | ६१ | ६.५० | |
| | | काठको घर वा टाँडे घर प्रतिवर्गफुट | २१ | ०.५१ | |
| | | भुईँ तल्लामा पक्की दिवाल भई माथि टिनको छाना भएको प्रतिवर्गफुट | ३.००१ | ३.००१ | |
| | | ट्रेसमाथि टिनको छाना भएको संरचना | ० | १ | |
| २ | घरनक्सा नामसारी दस्तुर | १००० वर्गफिट सम्मको घर नक्सा नामसारी | ७००१ | १०००१ | |
| | | १०००१ देखि २००० वर्गफुट सम्मको घरनक्सा नामसारी | ५००१ | १५००१ | |
| | | २००१ देखि ३००० वर्गफुट सम्मको घरनक्सा नामसारी | ७००१ | २०००१ | |
| | | ३००१ देखि ४००० वर्गफुट सम्मको | १०००१ | २५००१ | |
| | | ४००१ देखि ५००० वर्गफुट सम्मको | १२००१ | ३०००१ | |
| | | ५००१ वर्गफुटभन्दा माथि प्रतिवर्गफुट | रु. ०.५० | रु. ०.५० | |
| | | घरनक्सा निरीक्षण तथा सर्जिमिन दस्तुर | ३००१ | ५००१ | |
| | | लेआउट दस्तुर | २००१ | २००१ | |
| | | सार्वजनिक पूर्वाधार मर्मत दस्तुर | १००१ | १००१ | |
| | | थ्रिफेज लाइन जडान सिफारिस | ४००१ | ५००१ | |
| | | खानेपानीको धारा जडान | २००१ | ३००१ | |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|------|---|---|---|--------|
| | | संस्था दर्ता सिफारिस | ५००। | ५००। | |
| | | सिनेमा हल खोल्ने सिफारिस | १५०००। | १५०००। | |
| | | मेला, सर्कस अनुमति सिफारिस | ३१००। | ५०००। | |
| ३ | | टेलिफोन जडान सिफारिस इ.रिक्सा, रिक्सा, ठेला दर्ता /नवीकरण तथा नामसारी दस्तुर | १००। इ.रिक्सा रु. ५००। र अन्य रु.१००। | ३००। इ.रिक्सा रु. ५००। र अन्य रु.१००। | |
| | | जुनसुकै प्रकारका सर्जिमिन | ३००। | ३००। | |
| | | माथि उल्लेख नभएका दस्तुरको हकमा | ३००। | ३००। | |
| ४ | | नक्सा पाससम्बन्धी प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि | ५००। | ५००। | |
| | | घरको नक्साको प्रतिलिपि | ३००। | ३००। | |
| | | अन्य प्रमाणपत्र | ५००। | ५००। | |

ज. अन्य सेवा शुल्क

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|------------|----------------------------------|--|--|
| १ | सेवा शुल्क | अचल सम्पत्ति सेवा शुल्क | प्रतिलाख रु. ५०। | एकीकृत सम्पत्ति करमा समावेस भइसकेको |
| २ | | आयश्रोत मूल्यांकन प्रमाणित शुल्क | प्रति लाख रु. ४०। | प्रति लाख रु. ४०। |
| ३ | | सार्वजनिक शौचालय प्रयोगमा | दिसा गरेको रु. १०। पिसाब फेरेको रु. ५। | दिसा गरेको रु. १०। पिसाब फेरेको रु. ५। |
| ४ | | फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवा शुल्क | एए को माध्यमबाट तय भएपछि गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुने । | एए को माध्यमबाट तय भएपछि गाउँपालिकाले तोके बमोजिम हुने । |

| क्र.सं. | विषय | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि |
|---------|------|-----------------------|--|--|
| ५ | | अन्य विविध सेवा शुल्क | सेवाको प्रकृति हेरी रु.१००देखि २०००। सम्म गाउँपालिकाले तोक्न सक्ने । | सेवाको प्रकृति हेरी रु.१००देखि २०००। सम्म गाउँपालिकाले तोक्न सक्ने । |

भ. दण्ड जरिवाना

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|
| | ३५ दिनभित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना | निः शुल्क | निः शुल्क | |
| | ३५ दिनभित्र दर्ता भएका व्यक्तिगत घटना | रु.५० | रु.५० | अन्यत्रबाट बसाइँ सरी आएका र बसाइँ सनुपूर्व अन्यत्रबाटै व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु पर्नेमा सो नगरी बसाइँ सरेपछि यस गाउँपालिकामा दर्ता हुने व्यक्तिगत घटना दर्ताको हकमा थप रु. १५० |
| | निषेधित क्षेत्रमा फोहोर फाल्नेका हकमा | ५०० देखि १५००० सम्म | ५०० देखि १५००० सम्म | निषेधित क्षेत्र गाउँपालिकाले तोक्ने सोको सूचना स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकामार्फत् जानकारी गराइने |
| | निषेधित प्लाष्टिक प्रयोग गर्ने हकमा | १००० देखि १५००० सम्म | १००० देखि १५००० सम्म | प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा भएपछि कार्यान्वयन हुने । सोको सूचना |

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|---|------------------------------|--|---|
| | | | | स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिका मार्फत् जानकारी गराइने । |
| | जथाभावी चौपाया छोड्नेका हकमा : | प्रतिदिन ५० देखि ५०० सम्म | प्रतिदिन ५० देखि ५०० सम्म | |
| | <p>नोट : गाई, भैंसी, गोरुको रु. ५०। जरिवाना र खाना खर्च रु.१५०। प्रतिदिन । बाछ्रा, बाछ्नी र पाडापाडीको हकमा सोको ५० प्रतिशत । माथि उल्लेखित बाहेकका चौपायाको हकमा जरिवाना रु. १००। र खुराकी १००। प्रतिदिन । पाठापाठी लगायतको हकमा सोको ५० प्रतिशत । सात दिनसम्म पनि चौपाया लिन चौपायाधनी नआएमा गाउँपालिकाले लिलामी गर्नेछ ।</p> | | | |
| | मालपोतको हकमा एक वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि | १० प्रतिशत | सम्पत्ति करमा समावेस | |
| | मालपोतको हकमा दुई वर्ष सम्मको बक्यौताका लागि | १५ प्रतिशत | सम्पत्ति करमा समावेस | |
| | मालपोतको हकमा दुई वर्षभन्दा बढी सम्मको बक्यौताका लागि | २५ प्रतिशत | | |
| | व्यवसाय बक्यौता | १० प्रतिशत | ३ वर्षभन्दा माथिका बक्यौताका हकमा १५ प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । | |
| | ऐलानी तथा निजी जग्गाबाट व्यावसायिक रुपमा निकासी हुने बालुवा, भरौट तथा माटो बिक्री | १.५० प्रति क्यु.फिट उठाउने । | | भ्याटबोहक |

ज. पञ्जीकरणसम्बन्धी प्रमाणित सिफारिस:

| क्र.सं. | विवरण | साविकको दर रु. | संशोधित दर रु. | कैफियत |
|---------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| १ | विवाह प्रमाणित | ३००१०० | १५०१०० | |
| २ | जन्म प्रमाणित | ३००१०० | १५०१०० | |
| ३ | मृत्यु प्रमाणित | ३००१०० | १५०१०० | |
| ४ | अविवाहित प्रमाणित | ३००१०० | १५०१०० | |
| ५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता | | ५० | ३५ दिनसम्म निःशुल्क |

ट. व्यक्तिसँग सम्बन्धित सिफारिस:

| क्र.सं. | विवरण | साविकको दर रु. | संशोधित दर रु. | कैफियत |
|---------|--|--|--|---|
| १ | चारित्रिक एवम् सुचीकृत वर्ग सिफारिस स्थायी बसोवास भएकाका लागि | २१०१ | १००१०० | उल्लेखित सिफारिसमा सर्जमिन गर्नु परेमा सोको दस्तुर पुनः लाग्नेछ । |
| २ | चारित्रिक एवम् सुचीकृत वर्ग सिफारिस कोशी गाउँपालिकामा स्थायी बसोवास नभएको हकमा | ५१०१०० | १००१०० | |
| ३ | कृषिसँग सम्बन्धित सिफारिसको हकमा बोरिडसमेत | ५००१०० | १००१०० | |
| ४ | नाता प्रमाणित नेपालीमा | ३००१०० | २००१०० | |
| ५ | नाता प्रमाणित अङ्ग्रेजीमा | ५००१०० | ३००१०० | |
| ६ | सबै प्रकारका अङ्ग्रेजी सिफारिस | ५००१०० | ३००१०० | |
| ७ | नम्बरी जग्गाको रुख काट्ने सिफारिस | रु.५०० र १ भन्दा बढी रुख भए प्रतिरुख गोलिया ३ फिट सम्मको सोभन्दा माथि प्रतिफिट रु. | रु.५०० र १ भन्दा बढी रुख भए प्रतिरुख गोलिया ३ फिट सम्मको सोभन्दा माथि प्रतिफिट रु. | |

| क्र.सं. | विवरण | साविकको दर रु. | संशोधित दर रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
| | | ५०१ | रु. ५०१ | |
| ८ | सहुलियत काठको सिफारिस | ३००१०० | १००१०० | दाउराको प्रयोजन भए प्रति ट्राक्टर रु.१०००१०० |
| ९ | विद्युत सिफारिस | ३००१०० | १००१०० | सुकुम्बासी समेतको हकमा |
| १० | छात्रवृत्तिसम्बन्धी सिफारिस | १००१०० | १००१०० | |
| ११ | संस्था नवीकरण सिफारिस | ४१०१०० | ४००१०० | |
| १२ | संस्था दर्ता सिफारिस | ५००१०० | ५००१०० | |
| १३ | सहकारी दर्ता दस्तुर | ५००१०० | १०००१०० | |
| १४ | कन्सुलर प्रमाणित दस्तुर | ० | २००१०० | |

ठ. उद्योग लगायतका सिफारिसहरु:

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| १ | उद्योग दर्ता सिफारिस (पशु आहार) | ५००१ | ५००१ | |

७ मालपोत दस्तुर :

| क्र.सं. | विवरण | साविकको दर रु. | संशोधित दर रु. | कैफियत |
|---------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|
| १ | २ कठठासम्म भएमा प्रतिकठठा | १०१०० | १०१०० | |
| २ | २ कठठाभन्दा बढी भएमा थप प्रतिकठठा | ६१०० | ६१०० | |

ड. गाउँपालिकाको ब्याकुलोडर ट्याक्टरको सेवा शुल्क

| क्र.सं. | विषय विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|--|-----------------------|--------------------------|--------|
| १ | ब्याकुलोडर इन्धनसहित १८०० प्रतिघण्टा र अपरेटर भत्ता १२५ प्रतिघण्टा | १९५०१ | २०००१ | |
| २ | ट्याक्टर प्रयोग | चलनचलित | ०१ | |

ढ. "घ"वर्गको निर्माण इजाजतपत्र प्रदान गर्दाको राजश्व दस्तुर

| क्र.सं. | विवरण | चालु आर्थिक वर्षको दर | आगामी आर्थिक वर्षको लागि | कैफियत |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------|
| १ | इजाजतपत्र सुरु दर्ता दस्तुर | ५००० | ७५०० | |
| २ | नवीकरण दस्तुर (श्रावणदेखि असोजसम्म) | २००० | ३५०० | |
| ३ | नवीकरण कार्तिकदेखि चैत्र मसान्तसम्म | ० | ५००० | |
| ४ | इजाजतपत्र नामसारी दस्तुर | ० | ५५०० | |
| ५ | नाम परिवर्तन दस्तुर | ० | ५५०० | |
| ६ | इजाजतपत्र प्रतिलिपि दस्तुर | १५०० | १५०० | |

ण. बालुवा, ढुंगा, गिट्टी, बोल्डर, ग्राभेल आदिको कर संकलन गर्ने दररेट ।

| क्र.सं. | ढुवानी साधन | परिमाण | दररेट |
|---------|-----------------------|---|--------|
| १ | ट्याक्टर | ट्रेलर बराबर भएमा | २००।- |
| २ | ट्याक्टर | ट्रेलरभन्दा बढी भएमा प्रति क्यू फि. रु ३ को दरले | २५०।- |
| ३ | ट्रिपर (४ चक्का भएको) | ७ घनमिटर | ५००।- |
| ४ | ट्रिपर (६ चक्का भएको) | १० घनमिटर | ७००।- |
| ५ | हेवी (१० चक्का भएको) | १५ घनमिटर | १०००।- |

त. सूचना, सञ्चार तथा प्रसारणका लागि स्थापना भएका दूरदर्शन, एनटीसी, एनसेल टावर आदिको वार्षिक करको दर ।

| क्र.सं. | टावर | वार्षिक कर |
|---------|-------|------------|
| १ | टूलो | १५०००। |
| २ | मभौला | १००००। |
| ३ | सानो | ५०००। |

अनुसूची १२
(दफा १४ सँग सम्बन्धित)
पर्यटन शुल्क

गाउँपालिकाको ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक र पर्यटकीय क्षेत्रमा कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार पर्यटन प्रवेश शुल्क असुलउपर गरिनेछ ।

प्रमाणीकरण गर्ने :

ऐयुव अन्सारी
अध्यक्ष
कोशी गाउँपालिका
मिति : २०७६/०३/२२



स्थानीय राजपत्र

कोशी गाउँपालिका, लौकही, सुनसरी, प्रदेश नं.१,
नेपालद्वारा प्रकाशित

खण्ड: ४,

असार ३० गते, २०७८

संख्या: २

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम कोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाले पारित गरेको तल लेखिए बमोजिमको विनियोजन ऐन, २०७८ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको छ ।

भाग १

विनियोजन विधेयक, २०७८

प्रस्तावना:

कोशी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को सेवा र कार्यहरूको लागि सञ्चालित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजिम कोशी गाउँपालिकाको गाउँसभाले यो विनियोजन ऐन पारित गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

(१) यस ऐनको नाम “विनियोजन ऐन, २०७८ ” रहेको छ ।

(२) यो ऐन विक्रम सम्बत २०७८ श्रावण १ गतेबाट प्रारम्भ हुनेछ ।

२. आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निम्ति सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार :

- (१) आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको रकमसमेत गरी जम्मा रु.५३,२८,८६,७००। (त्रिपन्न करोड आठठाइस लाख छयासी हजार सात सय) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिनेछ। उक्त रकमबाहेक संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अन्य श्रोतबाट थप प्राप्त हुने रकमलाई सञ्चित कोषमा आम्दानी गर्न र रकम प्राप्त हुँदा तोकिए बमोजिमका शीर्षकमा खर्च गर्न उक्त सीमाले बाधा पुगेको मानिने छैन।

३. विनियोजन:

- (१) यस ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को निमित्त कोशी गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ।
- २) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि गाउँ कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरेको रकममध्ये कुनैमा बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने देखिन आएमा गाउँ कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्नेछ। यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा सार्न तथा एक वा सोभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न तथा निकास र खर्च गर्न सकिनेछ। पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम सावाँ भुक्तानी खर्च र ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालु खर्च शीर्षकतर्फ सार्न र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सावाँ ब्याज भुक्तानी खर्चतर्फ विनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छैन। तर चालु तथा पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्ने एक श्रोतबाट अर्को श्रोतमा रकम सार्न सकिनेछ। साथै कुनै कार्यक्रममा विनियोजित रकम सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु नपर्ने वा अन्य कुनै श्रोतबाट सञ्चालन हुने अवस्था आएमा वा अन्य कुनै कारणबाट सो कार्यक्रमको सबै रकम अन्य पुँजीगत कार्यक्रममा सार्न परेमा औचित्य र कारण खुलाई कार्यपालिकाले निर्णय गरी सार्न सक्नेछ। संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारले कुनै कार्यक्रमको अख्तियारीसहित रकम उपलब्ध गराएकोमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उल्लेखित सीमाले कुनै बाधा पुग्ने छैन।

अनुसूची-१
(दफा २ सँग सम्बन्धित)
नेपालको संविधानको धारा २२५(२) बमोजिम
सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम)

आ.व. २०७८/०७९

रकम रु हजारमा

| शीर्षक | आ.व. २०७६/०७७ को यथार्थ | आ.व. २०७७/०७८ को संशोधित अनुमान | आ.व. २०७८/०७९ को अनुमान |
|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| आय | ४२३१६७ | ५०४९२५ | ५३२८८६ |
| राजश्व | १२८६०९ | १४५२३७ | १८४५०८ |
| आन्तरिक श्रोत | २४७८१ | ३२५०० | ४३१८७ |
| राजश्व बाँडफाँट प्राप्त रकम | ७११०० | ९४१६४ | ९०९०३ |
| गाउँ विकास कोषको रकम | २३३८६ | १५५९० | २६४९८ |
| गत वर्षको अल्या | ९३४२ | २९८३ | ९००० |
| वन रोयल्टी राजश्व, संघीय सरकार | | | १३१० |
| घरजग्गा रजिष्ट्रेसन, प्रदेश राजश्व | | | ५३०० |
| सडक बोर्ड | | | २००० |
| करुणा फाउन्डेसन | | | १५१८ |
| प्रदेश प्रशिक्षण क्षमता विकास | | | ३०० |
| राजश्व बाँडफाँट सवारी कर प्रदेश | | | ४४९२ |
| अन्तर सरकार वित्तीय हस्तान्तरण | २९४५५८ | ३५९६८८ | ३४८३७८ |
| संघीय सरकार | २६२८७६ | ३४०२०५ | ३२७०० |
| समानीकरण | १३६५०० | १३६००० | १४२१०० |
| सशर्त अनुदान | १२६३७६ | २०४२०५ | १६९००० |
| समपूरक अनुदान | | | |
| सशर्त पुँजीगत अनुदान | | | १६७०० |
| अन्य अनुदान | | | |
| प्रदेश सरकार | ३१६८५ | १९४८३ | २०५७८ |
| समानीकरण | ७४७२ | ७४४३ | ८२६० |
| सशर्त अनुदान | १२१३५ | २०४० | २३१८ |
| समपूरक अनुदान | १०००० | १०००० | १०००० |
| विशेष अनुदान | २०७८ | | |
| व्यय | ३९५३४३ | ४२९८३४ | ५०२५७० |

| शीर्षक | आ.व. २०७६/०७७ को यथार्थ | आ.व. २०७७/०७८ को संशोधित अनुमान | आ.व. २०७८/०७९ को अनुमान |
|--------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| चालु खर्च | २२४४४५ | २६७३०१ | ३१७६५८ |
| पुँजीगत खर्च | १७०८९८ | १६१५३३ | १८४९१२ |
| वित्तीय | | | |

प्रमाणिकरण मिति: २०७८/३/३०